प्राक्कथन

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में वन, लोक निर्माण और जल संसाधन विभागों सहित मध्य प्रदेश शासन के आर्थिक क्षेत्र के अधीन विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षाओं के महत्वपूर्ण नतीजे समाहित हैं। यद्यपि, इसमें सामान्य, सामाजिक एवं राजस्व क्षेत्रों के अधीन विभाग शामिल नहीं हैं और वे सामान्य, सामाजिक एवं राजस्व क्षेत्रों के प्रतिवेदनों में सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण उनमें से कुछ हैं, जो 2017–18 की अवधि के दौरान नमूना जाँच की प्रक्रिया में जानकारी में आने के साथ–साथ पिछले वर्षों में जानकारी में आए थे, किन्तु विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों मे प्रतिवेदित नहीं किये जा सके थे। यथा आवश्यकता, वर्ष 2017–18 की उत्तरवर्ती अवधि से संबंधित उदाहरण भी सम्मिलित किये गये हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों की अनुरूपता में संचालित की गई है।